13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते साक्ष्य एवं बहस दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश के पधारने से पत्रावली दिनांक 25/9/25 को पेश हो।
आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी दिनांक 7/10/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

07/10/2025 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब पेश किया गया, जिसकी प्रति अभिभाषक प्रार्थी को दिलाई गई एवं शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश किये जाने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य निरह एवं आदेश दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

16/10/25

16/10/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज निर्णीत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नक्ल के कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना जिला- झालावाड़.

नाथू बनाम सरकार

प्रकरण संख्या 120/23

अंतर्गत धारा 136 भू० राज० अधिनियम 1956

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नाथू निवासी सालरखेड़ा तहसील मनोहरथाना ने एक प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act का इस आशय का पेश किया कि ग्राम सालरखेड़ा पटवार मण्डल हल्का खांख्या की माल की खाता संख्या 19 की कुल 6 किता भूमि में वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती है।

2. वादी के पिता रामा का 1/2 हिस्सा व वंशी पिता गंगाजी का 1/2 हिस्सा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में निहित था।

3. वादी का कथन है कि वंशी पिता गंगाजी लावल्द बिला फौत हुआ जिसका एक मात्र वारिस नाथू पिता रामा है जबकि वंशी की विरासत का इंतकाल नाथू पिता वंशी के नाम खुला जबकि यह नाथू पिता रामा के नाम होना चाहिए था।

4. उक्त कथन करते हुए वादी ने प्रार्थना की कि वाद की मद स. 1 में वर्णित आराजी में दर्ज नाम नाथू पिता वंशी के स्थान पर नाथू पिता रामा दर्ज किया जावे।

5. पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कथन किया कि जब नाथू वंशी के गोद चला गया तो उसके राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम नाथू पु० दत्तक वंशी दर्ज किया जा सकता है। नाथू पुत्र रामा दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा समस्त प्रकरण पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि वह वंशी का एकमात्र वारिस है जबकि वंशी लावल्द बिला फौत हुआ था। ऐसी परिस्थिति में वह वंशी का वारिस तभी हो सकता है जब वह वंशी के गोद गया हो अथवा वंशी द्वारा अपनी वसीयत नाथू के हक में की गई हो। अगर वह वंशी के गोद गया है तो उसे मैं नाथू वंशी का हकदार पुत्र होगा तथा उसके पिता के कालम में वंशी का ही नाम आएगा। अगर वंशी ने नाथू को गोद नहीं लिया है तो वंशी ने उसके हक में कोई वसीयत की होगी।

7. यहाँ रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि वंशी की हिस्से की आराजी प्रार्थी को विरासत से नाथू के नाम दर्ज है। अगर विरासत से नाथू के पास यह सम्पत्ति आई है तो उसके पिता का नाम वंशी ही दर्ज होना चाहिए।

8. प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। तथा दोहरा लाभ लेने के नीयत से न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने की मंशा रखता है। एक तरफ अपने आप को वंशी का एकमात्र वारिस बताता है वहीं दूसरी तरफ वंशी की आराजी प्राप्त कर पिता के नाम में परिवर्तन चाहता है।

अतः दावा वादी उक्त विवेचन के आलोक में खारिज निर्णीत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नक्शा से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज.)